भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2111
जिसका उत्तर बुधवार, 12 मार्च, 2025 को दिया जाएगा

भारतीय मानकों का कार्यान्वयन

2111. श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों में भारतीय मानकों का उच्च प्राथमिकता के रूप में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) आगामी वर्ष में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के कार्यान्वयन हेतु किन-किन प्रमुख उद्योगों अथवा उत्पाद श्रेणियों को प्राथमिकता दी जा रही है; और
(ग) भारतीय मानक और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के साथ किस प्रकार ताल-मेल बिठाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहें?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख): भारतीय मानकों को विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर तैयार/संशोधित/अद्यतन किया जा रहा है। लगभग 23000 भारतीय मानक लागू हैं। कुछ मानकों का अनुपालन अनिवार्य किया गया है और अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के लिए उत्पादों को भारत सरकार के संबंधित विनियामक/संबंधित मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक हित, मानव, पशु या पौधे के स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विचारों के आधार पर अधिसूचित किया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के माध्यम से, भारत सरकार का संबंधित विनियामक/संबद्ध मंत्रालय बीआईएस से वैध लाइसेंस के तहत बीआईएस मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग का निर्देश देता है।

अब तक भारत सरकार के विभिन्न नियामकों/संबंधित मंत्रालयों द्वारा 769 उत्पादों को शामिल करने वाले कुल 187 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश बीआईएस के अनिवार्य प्रमाणन के लिए अधिसूचित किए गए हैं, जिनकी सूची https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/ पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित दो होरिज़ोंटल क्यूसीओ भी अधिसूचित किए गए हैं:

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा घरेलू, वाणिज्यिक और इसी तरह के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 जारी किया गया। क्यूसीओ के माध्यम से, घरेलू, वाणिज्यिक या इसी तरह के एप्लीकेशनों के लिए सभी विद्युत उपकरण, जिनकी रेटेड वोल्टेज 250वी सिंगल फेज़ ऑल्टरनेटिंग करंट या 415वी थ्री फेज़ ऑल्टरनेटिंग करंट से अधिक नहीं है और जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत जारी किसी अन्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरे में नहीं आते हैं, बीआईएस के अनिवार्य प्रमाणीकरण के अंतर्गत आते हैं।
- भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सर्वव्यापी तकनीकी विनियमन) आदेश, 2024 जारी किया क्यूसीओ के माध्यम से, मशीनरी और विद्युत उपकरणों और उनके उप-संयोजनों/घटकों की 20 श्रेणियों को बीआईएस के अनिवार्य प्रमाणीकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है

उत्पादों को अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरे में लाना तथा क्यूसीओ का कार्यान्वयन, आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। मंत्रालय/विभाग, बीआईएस के परामर्श से, बीआईएस अधिनियम, 2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्यूसीओ प्रकाशित करते हैं, जिससे उत्पाद बीआईएस अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आ जाते हैं।

(ग): कुल 22689 भारतीय मानकों में से 10300 मानकों में आईएसओ/आईईसी मानक मौजूद है। अब तक 9616 भारतीय मानकों (93.3%) को मौजूदा आईएसओ/आईईसी मानकों के साथ सुसंगत बनाया जा चुका है।

*****